04/3/25

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-385RAABarmer2025-193RTA223 Shanti ors Vs Sukharam etc

01. शान्ती पुत्री हेमाराम
02. प्रभु पुत्र रतना
03. हीराराम पुत्र उदाराम
04. नारणाराम पुत्र उदाराम

जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की, ढाणी तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. सुखराम पुत्र तेजाराम
2. किसनाराम पुत्र तेजाराम
3. हरीराम पुत्र हुकमाराम
4. राजुराम पुत्र साजनराम
5. रामजीवन पुत्र साजनराम
6. लाडूराम पुत्र किसनाराम
7. शैतानराम पुत्र किसनाराम
8. जैताराम पुत्र कानाराम
9. हरीराम पुत्र कानाराम
10. श्रीराम पुत्र कानाराम
11. मोहनलाल पुत्र मगलाराम
12. मांगीलाल पुत्र मंगलाराम
13. जगराम गोदपुत्र हेमाराम
14. गंगादेवी पुत्री हेमाराम
15. चन्दू पुत्री हेमाराम
16. नेनू पत्नी उमाराम
17. मीरा पत्नी धुडाराम
18. मोहनी पत्नी धर्माराम
19. हीरो पत्नी लालाराम
20. सुगणी पत्नी भारता
21. पारू पत्नी शेराराम
22. तुलछी पत्नी मंगलाराम
23. शान्ती पत्नी बींजाराम
24. गजरी पत्नी नरसींगा
25. केली पतनी प्रभू
26. पारू पत्नी उदा
27. धनाराम पुत्र हुकमा के कायम मुकाम
    - 27.1. पेमाराम पुत्र धनाराम
    - 27.2. गोपालराम पुत्र धनाराम
28. किशनाराम पुत्र उदाराम
29. भजनलाल पुत्र उदाराम
30. किशनाराम पुत्र उदाराम
31. पारू पत्नी उदाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

32.नरसीराम पुत्र रतनाराम
33.सोनाराम पुत्र रामू
34.लालाराम पुत्र रामू के कायम मुकाम
34.1. आसुराम पुत्र लालाराम
34.2. राजुराम पुत्र लालाराम
34.3. लाधुराम पुत्र लालाराम
35.भारता पुत्र रामू
36.मंगला पुत्र रामु
37.बीजा पुत्र रामू
38.भाखरा पुत्र रामू
39.ओमप्रकाश पुत्र शेरा
40.पांचा पुत्र शेरा
जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी तहसील धोरीमना जिल बाडमेर।
41.सचिव सहकारी भूमि विकास बैंक बालोतरा।
42.शाखा प्रबन्धक एस बी आई शाखा धोरीमन्ना।
43.तहसीलदार धोरीमन्ना
44.सुखराम पुत्र खुमाराम
45.भारमलराम पुत्र खूमाराम
46.सदराम पुत्र कानाराम
47.आसुराम पुत्र सुखराम
48.ठाकराराम पुत्र भैराराम
49.मंगलाराम पुत्र भैराराम
50.शेराराम पुत्र भैराराम
51.किसनाराम पुत्र भैराराम
52.धोंकलाराम पुत्र भैराराम
53.रूखमण पत्नी भैराराम
54.विरधाराम पुत्र भगवानाराम
55.रामलाल पुत्र भगवाना
56.केसरीमल पुत्र भगवाना
57.राणाराम पुत्र जगराम
58.सत्यपाल पुत्र जगराम
59.द्रोपदी पुत्री जगराम
60.मीरा पतनी जगराम
61.रमेश पुत्र हरचन्द
62.गणपत पुत्र हरचन्द
63.पवनी पत्नी हरचन्द
64.घुडा पुत्र वागा
65.गोगाराम पुत्र अर्जुनराम
66.जेठाराम पुत्र अर्जुनराम
67.मोहनलाल पुत्र अर्जुनराम
68.धनीदेवी पत्नी अर्जुनराम
69.गोकला पुत्र सावताराम
70.मदा पत्र ईशराराम
71.तेजा पुत्र ईशराराम
जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

72.प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमन्ना।
73.प्रबन्धक पजाब नेशनल बैंक शाखा धोरीमन्ना

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 अप्रैल 2025 सहायक कलक्टर धोरीमन्ना राजस्व मूल वाद संख्या 39/2015(169/2006) मुमल के कायम मुकाम बनाम जगराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से बारह

नि र्ण य

दिनांक : 28 जनवरी 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 39/2015(169/2006) अनवान मुमल के कायम मुकाम बनाम जगराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 अप्रैल 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 31 जुलाई 2025 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो तथा उसकी माता मुमल ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, व 188 के तहत इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादीगण के पूर्वजो की खातेदारी की भूमि मौजा धोरीमन्ना वर्तमान ग्राम आजोणियो की ढाणी में खसरा सख्या 465 रकबा 111 बीघा की भूमि आई हुई है। वक्त भू प्रबन्ध खसरा संख्या 466, 467, 465, 464 एकल खेत थे, परन्तु पैमाईस के समय खसरा संख्या 464. व 465 के बीच में रास्ता पड़ने से इसके दो भाग कर दिये गये। खसरा संख्या 465 का पैमाईस भूल से हुकमा वल्द मुकना के नाम से जारी कर दी, जबकि खसरा संख्या 465 पर वादीगण के पूर्वज तेजाराम का कब्जा काश्त था। इस कारण खसरा संख्या 465 रकबा 111 बीघा की भूमि वादीगण की खातेदारी घोषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 से 31 ने उपस्थित होकर वादी के बाद को अस्वीकार कर जबाब पेश कर दावा खारीज करने का निवेदन किया गया। वादीगण की ओर से आदेश 6 नियम 17 व आदेश 01 नियम 10 सी पी सी के आवेदन प्रस्तुत कर वाद में संशोधन का अनुतोष चाहा जो दिनांक 08–04–2025 को स्वीकार कर संसोधित वाद रिकार्ड पर लिया गया तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। संसोधित वाद उत्तरदाता संख्या 1 से 12 के द्वारा पेश किया गया, जिसमें

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वादीगण/उत्तरदाता संख्या 1 से 12 के द्वारा पेश कर निवेदन किया गया कि खसरा संख्या 465 रकबा 111 बीघा में से प्रतिवादी संख्या 29 व 30 का बंटवाड़ा होने के कारण शेष रकबा 91 बीघा (14.7305 हैक्टेयर) रहा। जिसमे रकबा 04 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 34 से 61 की है। शेष रकबा 87 बीघा भूमि में वादीगण संख्या 1 से 3 तेजा के वारीसान का 1/4 हिस्सा, काना पुत्र काछबा का 1/4 हिस्सा, साजन पुत्र काछबा का 1/4 हिस्सा, हुकमा पुत्र काछबा 1/4 हिस्सा है। इसी अनुसार खातेदारी घोषित की जाये। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त संशोधित वाद दिनांक 08–04–2025 को स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष जबाबदावा व प्रतिवाद पेश कर निवेदन किया गया कि खसरा संख्या 465 रकबा 111 बीघा गांव धोरीमना प्रतिवादीगण के पूर्वज गुत्तवफी हुकमाराम की मिल्कियत एवं कब्जा काश्त की थी, जिसका पर्चा लगान वक्त बन्दोबस्त अधिकारियो के साथ पैमाईस करवा कर मुतवफी हुकमाराम के नाम सही जारी किया था। मुतवफी हुकमाराम के फौतेदगी के बाद उनके पुत्र एवं पौत्र एवं परिवार के सदस्यो के नाम उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है और प्रतिवादी संख्या 5 से 15 जरीये बैचान पत्र खेल खरीदने से सह खातेदार दर्ज हुये है। प्रतिवादी संख्या 1 से 31 बहैसियत खातेदार कृषक काबिज है। वादीगण का वादग्रस्त खेत पर कभी भी कब्जा काश्त पुस्तैनी का नहीं है। बैचान पत्र निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। वाद क्षेत्राधिकार का नहीं होने से व वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से खारीज किया जावे। अपीलांट्स की ओर से दिनाक 22–12–2015 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का पेश किया गया, जिसका जबाब दिनाक 03–04–2018 को पेश किया गया। उसके बाद दिनाक 13–01–2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी पी सी का पेश किया गया था। दिनांक 17–12–2024 की आदेशिका में प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी पी सी व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी पी सी के बहस हेतु पत्रावली दिनाक 24–12–2024 को मुर्कर की गई। सुनवाई दिनांक 24–12–2024 को प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी पी सी व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का निस्तारण किये बिना ही वादी के साक्ष्य पेश कर वादी की साक्ष्य बन्द कर दी गई। वादी के साक्ष्य से प्रतिवादी वकील से जिरह नहीं करवाई गई। वादी के वाद व प्रतिवादीगण के जवाब के आधार पर तनकी कायम भी नहीं की गई। आदेशिका दिनांक 24–12–2024 की आदेशिका पर पीठासन अधिकारी के हस्ताक्षर नही है तथा न ही वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य बयान पर पीठासन अधिकारी के हस्ताक्षर है, जिससे स्पष्ट है उक्त समस्त कार्यवाही न्यायालय के समक्ष नहीं की जाकर बाद में की गई है। विधि का यह सुस्थापित नियम है कि किसी प्रकरण को अंतिम रूप से निस्तारण करने से पूर्व उसके प्रस्तुत समस्त प्रार्थना पत्र (आवेदन पत्र) का निस्तारण किया जायेगा तथा उसके बाद मूल अंतिम निर्णय पारित किया जायेगा, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी पी सी का निस्तारण किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। यह उल्लेखनीय है कि खसरा संख्या 465 रकबा 111 बीघा की भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वज मुतवफी हुकमाराम की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की थी, जिसका पर्चा लगान वक्त बन्दोवस्त अधिकारियों के साथ पैमाईस करवा कर मुतवफी हुकमाराम के नाम सही जारी किया था। प्रतिवादी संख्या 01 से 31 बहैसियत खातेदार कृषक काबिज है। वादीगण का वादग्रस्त खेत पर कभी भी कब्जा काश्त पुश्तैनी का नहीं है। संशोधित दावा पेश होने पर उस पर प्रतिवादीगण को जबाब पेश करने का अवसर नहीं दिया और उसी दिन अंतिम निर्णय पारित कर दिया गया। प्रतिवादीगण का वादीगण के परिवार से कोई लेना देना नहीं है तथा न ही वादीगण ने ऐसा कोई खानदाजी सजरा बताया जिसमें वादी व प्रतिवादी का खानदान एक हो। अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी से अपीलाण्टगण की सेटलमेंट की खातेदारी समाप्त कर दी है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्टगण/ प्रतिवादी के वकील द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जबाब पेश करने के बाद प्रतिवादी/अपीलाण्टगण की ओर से प्रभावित पैरवी नहीं की गई। अपीलाण्ट/प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य पेश नहीं की गई। वकील की गलती की सजा पक्षकार को नहीं भुगताई जा सकती है। बरसात का समय होने से अपीलाण्टगण हर साल की भांति काश्त व सुड़ कार्य कर रहे थे। तब उत्तरदातागण ने सुड़ व काश्त करने से मना कर झगडा करने हेतु उतारू हो गये तथा न्यायालय से अपने पक्ष में फैसला होने व भूमि से बेदखल करने की धमकी दी गई। जिस पर अपीलाण्टगण के द्वारा वकील नियुक्त कर जांच करवाई गई, जिस पर उक्त निर्णय व डिकी जानकारी हुई। निर्णय व डिकी की दिनाक 16–07–2025 को नकले प्राप्त हुई। जिस पर वास्तविक जानकारी हुई। वास्तविक जानकारी व नकल मिलने की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धरा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय दिनांक 08 अप्रैल 2025 को अपास्त किया जावे।

जवाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्तागण ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात पर वक्त सेटलमेंट से पूर्व ही वादीगण/रेस्पो. का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर वादीगण के रहवासी मकानात बने हुए है। वक्त सेटलमेंट राजस्व कर्मचारियों की भूल से वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट्स के पूर्वज के नाम गलत रूप से दर्ज हुई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के सम्मन सम्यक रूप से तामील करवाये जाने पर उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा दौराने बहस वादीगण के कथनों की ताईद की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वादीगण/रेस्पो. की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अपने वाद को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त साक्ष्यों के आधार पर तथा उभय पक्ष की स्वीकारोंक्ति से विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा कुल 57 प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के वाद में अपनी सहमति प्रदान की गई है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से पक्षकारान् के मध्य पिछले 50 वर्षो का विवाद खत्म हुआ है। विचारण न्यायालय में विचाराधीन अन्य पत्रावली में अपीलांट्स की भूमि अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज हुई तथा तथा कब्जा अपीलांट्स का था, वह वाद भी डिक्री हुआ है। अपीलांट्स ने अन्य किसी के बहकावे में आकर हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। वर्तमान में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पालना हो चुकी है। कानूनन सहमति से पारित डिक्री के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादीगण द्वारा अपने वाद में वादग्रस्त आराजीयात पर पर वक्त बंदोबस्त सेटलमेंट कर्मचारियों की भूल से वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो जाने के कथन करते हुए वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलबध खसरा गिरदावरी प्रदर्श– ईएक्सपी– 06, 07 व 08 के मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण/रेस्पो. के पुर्वजो के नाम से काश्त दर्ज होना प्रकट होती है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत गवाह डीब्ल्यू–01 बींजाराम पुत्र रामुराम, डी.डब्ल्यू–2 सुखराम पुत्र खुमाराम डी.डब्ल्यू–3 विरधाराम पुत्र भगवानाराम, डीडब्ल्यू–4 किसनाराम पुत्र उदाराम, डीडब्ल्यू–5 गोगाराम पुत्र अर्जुनराम ने दौरान परिक्षण वादग्रस्त आराजीयात पर वक्त सेटलमेंट का कब्जा काश्त स्वीकार किया है तथा मौके पर पक्षकारान् में राजीनामा होने के कथन किये गये है। उक्त सभी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित है कि वादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पो./वादीगण का कब्जा काश्त है। वक्त सेटलमेंट केवल सेटलमेंट कर्मचारियों की भूल से अपीलांट्स के पूर्वजों का नाम दर्ज हुआ है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य एवं उभय पक्ष की स्वीकारोक्ति के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये है। वक्त निर्णय अपीलांट्स जरिये अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे है। इस कारण अपीलांट्स द्वारा विलंब हेतु किये गये कथन विश्वास योग्य नहीं ठहरते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि सम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट म्याद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 39/2015(169/2006) अनवान मुमल के कायम मुकाम बनाम जगराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 अप्रैल 2025 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर